

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 218]

भोपाल, शनिवार, दिनांक 6 जून 2015—ज्येष्ठ 16, शक 1937

अनुसूचित जाति कल्याण विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 6 जून 2015

क्र. एफ-12-14-2010-25-4.—राज्य शासन एतद्वारा मध्यप्रदेश के अनुसूचित जाति वर्ग के क्षेत्रों में समाज सेवा का उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यक्तियों/स्वयंसेवी संस्थाओं को पुरस्कृत करने के लिए राज्य स्तरीय 'श्री विष्णु कुमार अनुसूचित जाति सेवा सम्मान' नियम 2010 में निम्नानुसार संशोधन/परिवर्धन करता है:—

जूरी के सदस्यों को चयन प्रक्रिया के लिए आमंत्रित किये जाने पर यात्रा व्यय के अतिरिक्त पारिश्रमिक राशि रु. 5000/- दिया जायेगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अजय सिंह गंगवार, उपसचिव.